रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357] नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 4, 2007/कार्तिक 13, 1929
No. 1357] NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 4, 2007/KARTIKA 13, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2007

का.आ. 1878(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27 नवम्बर, 1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27 नवम्बर 1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और यत: वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथ पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और यत:, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :

(i) असम राज्य में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यत: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), की अनेक हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है । आई ई डी का प्रयोग उल्फा की हिंसा की प्रमुख विशेषता रही है। अन्य विद्रोही संगठन, नामत: नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बी लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह (डी एच डी) भी असम राज्य में सक्रिय हैं ।

(ii) वर्ष 2007 के दौरान (30 सितम्बर, 2007 तक) असम में हुई हिंसा की 387 घटनाओं में भूमिगत गुटों द्वारा 16 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 255 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं ।

(iii) उपर्युक्त उल्लिखित गुटों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा इनमें से अधिकांश गुट आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में लिप्त हैं ।

(iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विशेष रूप से तीरप, चांगलोंग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग तथा निचले दिबांग घाटी जिलों में विभिन्न उग्रवादी संगठनों तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है । एन एस सी एन के दो गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरन धन वसूली में लिप्त हैं ।

(v) असम की सीमा से लगे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी का भूमिगत गुटों द्वारा पड़ोसी देशों से/को घुसपैठ/बाहर जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स पट्टी से होकर असम को शस्त्र एवं गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है । यह भी देखा गया है कि असम की सीमा पर जब कभी विद्रोह विरोधी अभियानों को तीव्र किया जाता है तो विद्रोही गुट गारो पहाड़ियों में चले जाते हैं जहाँ उनके आश्रय स्थल हैं ।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4-5-2008 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए ।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4 November, 2007

S.O. 1878(E).—Whereas, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27th November, 1990 *vide* Notification S.O. 916 (E) dated 27th November, 1990.

And, whereas, the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And, whereas, the period during which the State of Assam and areas falling within 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And, whereas, a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, and Meghalaya bordering Assam indicates the following :—

(i) The law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation Front of Asom (ULFA). The use of IEDs has been the significant feature of ULFA violence. Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam.

(ii) During 2007 (upto 30th September, 2007) as many as 255 persons including 16 Security Force Personnel were killed by the Under Ground outfits in 387 incidents of violence in Assam.

(iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from people.

(iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations and Security Forces, particularly in the districts of Tirap, Changlong, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The two factions of NSCN are involved in extortion activities in Assam-Arunachal Pradesh border areas.

(v) The 20 Kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam continue to be used by Under Ground outfits as an infiltration/exfiltration routes from/to neighbouring countries and for smuggling of arms and ammunition to Assam via Garo Hills belt. It has also been noticed that whenever Counter Insurgency operations are intensified on the Assam border, the insurgents retreat to the Garo Hills where they have shelters.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4-5-2008 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.